भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2446
सोमवार, 13 दिसम्बर, 2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक)

रोजगार सृजन हेतु योजनाएं

2446. श्रीमती रमा देवीः
श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रोजगार सृजन के लिए कृषि क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समय पर समीक्षा करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) उक्त योजनाओं की सफलता के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में मजदूरों की मांग का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की मदद से कोई समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मजदूरों के सशक्तिकरण के लिए उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रगति के लिए सहायता प्रदान करती है तथा उनको सुगम बनाती है। समस्त योजनाएं किसानों को लाभान्वित करने एवं कृषि आधारित रोजगार के संवर्द्धन द्वारा उनके आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु लक्षित हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय उन बेरोजगार युवाओं, जिनके पास कृषि एवं संबद्ध विज्ञान में योग्यता है, को लाभप्रद स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए "कृषि विस्तार पर उप मिशन" के अंतर्गत एक योजना, "कृषि-क्लिनिकों एवं कृषि-व्यापार केंद्रों (एसीएवंएबीसी) की स्थापना" का कार्यान्वयन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 2015-16 से देश के 100 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि में युवाओं को आकर्षिक एवं उन्हें बनाए रखना (एआरवाईए) नामक एक परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य लाभप्रद रोजगार एवं धारणीय आय सृजन हेतु कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को सशक्त बनाना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं ,को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करता है।

हाल ही में, सरकार ने अप्रैल, 2021 में अखिल- भारतीय तिमाही संस्थान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) प्रारंभ किया है। अप्रैल से जून 2021 की अवधि हेतु तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के प्रथम दौर के परिणाम के अनुसार, अर्थव्यवस्था के नौ चुनिंदा क्षेत्रों में रोजगार की संख्या 3.08 करोड़ हो गई है जबकि यह छठी आर्थिक जनगणना (2013-14) में यथा रिपोर्टित सामूहिक रूप से लिए गए इन क्षेत्रों में कुल 2.37 करोड़ थी जो कि 29 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। 152 प्रतिशत की सर्वाधिक प्रभावी वृद्धि आईटी/बीपीओ क्षेत्र में दर्ज की गई है, जबकि स्वास्थ्य में वृद्धि दर 77 प्रतिशत, शिक्षा में यह 39 प्रतिशत, विनिर्माण में यह 22 प्रतिशत, परिवहन में यह 68 प्रतिशत तथा निर्माण में यह 42 प्रतिशत रही है।

मजदूरों के सशक्तिकरण और उनकी आय बढाने के लिए, सरकार ने निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना जून, 2020 को प्रारंभ की गई थी ताकि कोविड-19 के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए रेहड़ी-पटरी वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हेतु अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए, कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान किया जा सके।

******